न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—22 / 2022 (2022 / 289) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अमरी पिता गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—केशी पत्नि गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—घीसा पत्नि एकलिंग तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—घीसी पिता गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—दुधा पिता एकलिंग तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रूपलाल पिता गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पालरां पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1—चुन्नीलाल पिता धन्ना गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बगतावरी पत्नि गोकल तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बालु पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भैरू पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मांगु पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रामा पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—हेमा पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—हीरा पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — विपक्षीगण अधिवक्ता

दिनांक—20.06.2023

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पालरां तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 505 में अंकित आराजी संख्या 1954 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1955 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 1959 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1960 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 1961 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में शामलाती दर्ज है परन्तु मौके पर प्रार्थी संख्या 1 से 6 के मध्य मौखिक विभाजन होकर अलग अलग काबिज है। इसी [illegible] प्रार्थी संख्या 7 ग्राम पंचायत जो गांव के विकास तथा काश्तकारो के [illegible] सुविधाजनक रास्ता के निर्माण व अवरूद्ध रास्ता को खुलवाकर काश्तकारों को राहत प्रदान करने का कार्य करती है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र कदीमी रास्ता ग्राव बसने के समय से गांव आने जाने वाली सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 1976 से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1952 की पूर्वी पाली पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पन्द्रह फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:07 IST
Reason: SelfAttested

चौड़ा रास्ता होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1955, 1959, 1960, 1961 में जाता है तथा आगे उक्त रास्ता अन्य सरकारी रास्ते में मिलता है जिससे प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान अपने खेतो में वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लेकर जाते है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 1952 रकबा 0.28 है0 मे से 0.01 है0 भूमि में रास्ता नही है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ते पर प्रार्थी संख्या 7 द्वारा पक्का निर्माण करवा रखा है तथा पूर्व में उक्त रास्ते पर अकाल राहत व मनरेगा के तहत् ग्रेवल डलवायी गई थी। विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान की कृषि आराजियात में आवागमन के रास्ते को बन्द कर देन से प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान अपने खेतो में बुवाई नही कर पा रहे है। प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि को डीएलसी दर से राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम पालरां में स्थित आराजी संख्या 1955, 1959, 1961, 1960 में तथा गांव के अन्य काश्तकारान की भूमियों में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1952 की पूर्वी पाली पर उत्तर से दक्षिण में पन्द्रह फीट चौड़ाई में स्थित है कदीमी रास्ते को बिलानाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 की जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल किया गया एवं विपक्षी संख्या 9 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में जहां तक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों का अकंन है स्वीकार है शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी संख्या 7 ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक द्वेषता से प्रार्थीगण को उकसा कर विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवा दिया है। कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का कदमी रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 1976 से होकर कभी नही रहा है प्रार्थीगण अपनी सम्पूर्ण भूमियों में आवागमन अन्यत्र रूप से दर्ज बिलानाम रास्ते से होकर सदियो से करते रहे है जिसका अंकन मजीद कथन में किया गया है। प्रार्थीगण के पास रेकार्डेड रास्ता है जो वर्तमान में खुला हुआ है। प्रार्थी संख्या 7 ग्राम पंचायत पालरा का तात्कालिन [illegible] बेनामी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है उक्त बेनामी भूमि के लिए [illegible] उकसा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवा दिया है। प्रार्थीगण के आवागमन का [illegible] में वर्षो से दर्ज होकर वर्तमान में चालु हैं तथा प्रार्थीगण सुविधा के अनुसार नया रास्ता [illegible] चाहते है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1954, 1955, 1959, 1960, 1961 कुल किता 5 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि में आवागमन सदैव से बिलानाम आराजी संख्या 1980 जो रायपुर से पालरां जाने वाली मुख्य सड़क है से लगता हुआ बिलानाम रास्ता जिसके खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nehal Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:07 IST
Reason: SelfAttested

1972 होकर गै.मु. रास्ता दर्ज रेकार्ड है जो आगे तक जाता है इससे आगे आराजी संख्या 1962 गै.मु. रास्ता है जो प्रार्थीगण के साथ साथ अन्य काश्तकारों के आवागमन में उपयोग उपभोग में आ रहा है जिससे कोई बाधा अड़चन नही है वर्तमान में उक्त रास्ता खुला हुआ है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1961 से लगती हुई होकर फाटक लगी हुई है। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत सरपंच से मिलकर प्रार्थना पत्र विपक्षीगण की भूमियो में नवीन रूप से रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया है तो कतई दिया जाना न्यायोचित नही है। आराजी संख्या 153 जो वर्तमान में हरलाल पुत्र मांगु भी के नाम दर्ज रेकार्ड है जो वर्तमान में तत्कालीन सरपंच हरलाल गाडरी के उपयोग उपभोग में होकर परिवारवालों ने बाड़ों के उपयोग में आ रही है उक्त भूमि में नया रास्ता लेने की गरज से प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के साथ दुरभि सन्धि कर गलत तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि यह आराजी संख्या 1953 भी बिलानाम आराजी संख्या 1922 गै.मु. रास्ता से लगती हुई है केवल मात्र रानीतिक द्वेषतावश परेशान करने कि गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1954, 1955 रकबा 0.01 है0, 0.33 है0 एवं आराजी संख्या 1959, 1960, 1961 रकबा 0.09 है0, 0.70 है0, 0.13 है0 पर आवागमन हेतु आराजी संख्या 1952 की पूर्वी मेड़ के सहारे—सहारे अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता चाहते है। राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 1952 की पूर्वी मेड पर डेस—डेस कदीमी रास्ता बना हुआ हैं। मौक पर आराजी संख्या 1976 रास्ता आराजी संख्या 1952 तक बना होकर आराजी संख्या 1952 की दक्षिणी मेड़ पर बन्द है पत्थर की दीवार व छड़िया डालकर बन्द कर रखा है। उक्त विवादित रास्ते के अलावा आराजी संख्या 1972 एवं आराजी संख्या 1922 गै.मु. रास्ता जो आराजी संख्या 1953 की दक्षिणी मेड़ के सहारे—सहारे भी है। वर्तमान में इधर—उधर की आराजी से मांग कर अपनी आराजी में जाया जा रहा है जो अस्थाई तोर पर आवागमन हो रहा है। उक्त रास्ते के लिए आराजी संख्या 1952 की पूर्वी मेड़ से 160 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में आती है जिसकी डीएलसी दर से 11512 / —रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 23024 / —रूपये बनती है। वर्तमान में जो रास्ता चाहता है उसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है तथा वैकल्पिक रास्ते को बल्यू स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 1972 व आराजी संख्या 1953 से भी वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण लगभग 50 वर्षो से अधिक इसी कदीमी रास्ते का उपयोग कर [illegible] मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं विपक्षीगण के खाते में भी गै.मु. रास्ता [illegible] रास्ते को बिना सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये ही छड़िया डालकर व दीवा[illegible] कर बन्द कर रखा है जिसे खुलवाया जाकर नियमानुसार डीएलसी दर जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता मौजुद है जो तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अतः प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:07 IST
Reason: SelfAttested

खारीज फरमाया जावे साथ ही न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये जिसका अवलोकन फरमाते हुए प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु विपक्षीगण के नाम दर्ज गै.मु. रास्ते का उपयोग पिछले कई वर्षो से किया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में अंकन किया गया कि काश्तकार कदीम से अपने खेत पर किसी रास्ते का उपभोग करता आ रहा है तो उस रास्ते को कायम रखवाए जाने का पूरा अधिकार है। तहसीलदार रायपुर मौका रिपोर्ट में भी अंकन है कि वर्तमान में जिस रास्ते को बन्द कर रखा है पहले आवागमन उसी रास्ते से होता था साथ ही यह रास्ता आराजी संख्या 1952 में भी गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज है तथा राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 1952 की पूर्वी मेड़ पर डेस–डेस कदीमी रास्ता बना हुआ है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अन्य वैकल्पिक रास्ते विद्यमान किन्तु यदि काश्तकार कदीम से अपने खेत पर किसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है तो धारा 251 अधिनियम के अन्तर्गत उसे कायम रखवाये जाने का उसे पुरा अधिकार है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये उन तीनो दृष्टान्त में इस प्रकार बताया गया है कि प्रार्थी की सुविधा हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजुद नया रास्ता दर्ज नही किया जा सकता किन्तु इस प्रकरण मे कदीम रास्ते व पहले से दर्ज गै.मु. रास्ते को खुलवाया जाने का अनुतोष मांगा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थीगण कई वर्षो से आवागमन कर रहे है तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थीगण की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी रास्ते से होकर आवागमन किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरां तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1954, 1955, 1959, 1960, 1961 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1952 रकबा 0.28 है0 मे से रकबा 0.016 है0 भूमि (यानि 160 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 719454 / –रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 11512 / –रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 23024 / –रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:07 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—22 / 2022 (2022 / 289) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अमरी पिता गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—केशी पत्नि गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—घीसा पत्नि एकलिंग तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—घीसी पिता गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—दुधा पिता एकलिंग तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रूपलाल पिता गोमा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पालरां पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1—चुन्नीलाल पिता धन्ना गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बगतावरी पत्नि गोकल तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बालु पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भैरू पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मांगु पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रामा पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—हेमा पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—हीरा पिता गोमा गाडरी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरां तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1954, 1955, 1959, 1960, 1961 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1952 रकबा 0.28 है0 मे से रकबा 0.016 है0 भूमि (यानि 160 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 719454 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 11512 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 23024 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:07 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा